न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—37 / 2021 (2021 / 128) वादपत्र

अनवान

1. नारायणलाल पिता गोकल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भोजराज पिता गोकल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मनोहरलाल पिता गोकल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सायरी पत्नि गोकल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता मांगु बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कंवरीदेवी पत्नि मांगु बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. ज्ञानी पुत्री मांगु बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नाथु पिता मांगु बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भंवरी पुत्री मांगु बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मोहन पिता मांगु बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रोशन पिता मांगु बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लच्छु पिता मांगु बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
10. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद— अधिवक्ता वादीगण
2. ललित सुराणा — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 23.05.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 19.05.2022 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] 8 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1293 रकबा 0.03 है[illegible]जी संख्या 1306 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1333 रकबा 0.38 है0, आराजी [illegible]344 रकबा 0.03 है0 गै.मु.आबा, आराजी संख्या 1347 रकबा 0.32 है0, [illegible] रकबा 0.32 है0 [illegible]ता 6 कुल रकबा 1.22 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से [illegible] हिस्से का मौके प[illegible] एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए वाईं मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:01 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.04.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 134 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1293 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1306 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1344 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1347 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 1333 / 1 रकबा 0.09 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि नारायण पिता गोकल 1 / 4 रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर, भोजराज पुत्र गोकल 1 / 4 रहन बीओबी शाखा रायपुर, मनोहरलाल पुत्र गोकल 1 / 4, सायरी पत्नि गोकल 1 / 4 बलाई सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1348 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 1333 / 2 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगु 1 / 8, कंवरीदेवी पत्नि मांगु 1 / 8, ज्ञानी पुत्री मांगु 1 / 8, नाथु पुत्र मांगु 1 / 8, भंवरी पुत्री मांगु 1 / 8, मोहन पुत्र मांगु 1 / 8, रोसन पुत्र मांगु 1 / 8, लच्छु पुत्र मांगु 1 / 8 बलाई सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:01 IST
Reason: SelfAttested